27/11/19 पत्रावली प्रस्तुत की गई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। चूंकि मूल वाद आज दिनांक को न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है, अतः इस प्रार्थना पत्र के विचारण का कोई औचित्य न्यायालय के समक्ष शेष नहीं है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 दा.का.अ., 1955 एतद्द्वारा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.11.19